फर्द अहकाम

अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर

श्रीमती रूपी पत्नी रामजीलाल धोबी बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 90–क राज0 भू राजस्व अधिनियम, अपील संख्या 304 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.06.2025	पत्रावली अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 02.06.2025 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र जरिये अपील को प्रत्याहर्त (विड्रोल) करने हेतु, पर निर्णय हेतु रखी हुई थी, जो आज पेश हुई। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 02.06.2025 को प्रार्थना पत्र जरिये अपील को प्रत्याहर्त (विड्रोल) करते हुए यह कथन किया गया कि उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहती हूँ और अपील को मैं न्यायहित में विड्रो करना चाहती हूँ। अतः उक्त अपील को प्रत्याहर्त करने की अनुमति प्रदान करावें। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का बगौर अवलोकन किया गया उसमें अंकित तथ्यो पर गहनता से मनन, चिन्तन किया गया। अपीलार्थी उक्त विचाराधीन अपील को आगे नहीं चलाना चाहती है। ऐसे में अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.06.2025 को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना इस अपील को और विचाराधीन नहीं रखते हुए इसी स्तर पर निस्तारण करते हुए अपील जरिये विड्रोल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड लौटाया जावे। सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर	

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर